हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म	
19/07/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के समक्ष उनके द्वारा मोजगर रसीदें पेश की। रसीदें शामिल पत्रावली की गई। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण के पत्रावली पर बहस सुनी। आदेश नकल के लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 197 / 2023

प्रार्थीगण :–

1. भूरचंद पुत्र केसरीमल
2. प्रभुराम पुत्र देराज उर्फ देवराज
3. अणसीदेवी पत्नी देराज उर्फ देवराज
4. चिमनाराम पुत्र देराज उर्फ देवराज
5. नेनाराम पुत्र देराज उर्फ देवराज
6. देवी पत्नी किशनलाल
7. रूखमादेवी पत्नी चम्पालाल
8. सुन्दरदेवी पत्नी दुर्गाराम
9. सविता पत्नी नरपतलाल
   जाति सुथार निवासी रामजी का गोल तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. गोडाराम पुत्र लिखमाराम
2. जालाराम पुत्र लिखमाराम
3. दुर्गाराम पुत्र लिखमाराम
4. पनाराम पुत्र लिखमाराम जाति रबारी निवासी रामजी का गोल
5. पूनमाराम पुत्र भूराराम
6. मूलाराम पुत्र भूराराम
7. मानाराम पुत्र वागाराम
8. रामा पुत्र हरचंद
9. रामा पुत्र हरचंद
10. भंवरा पुत्र हरचंद
11. भेराराम पुत्र हरचंद
12. पूराराम पुत्र हरचंद जाति जाट निवासी रामजी का गोल तहसील गुड़ामालानी
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 19.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री सुखराम विश्नोई की पत्रावली पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा रामजी का गोल पटवार हल्का पीपराली के खेत खसरा नम्बर 32/2 रकबा 3.0918 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49/6 रकबा 1.5135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49/8 रकबा 3.6179 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49/3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49/4 रकबा 0.0324 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की गाठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मौजा रामजी का गोल पटवार हल्का पीपराली के खेत खसरा नम्बर 32/2 रकबा 3.0918 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49/6 रकबा 1.5135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49/8 रकबा 3.6179 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49/3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49/4 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, पीपराली को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.2.24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्र: वाद / 2024 / दिनांक :

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

भूरचन्द वगैरा **मोडाराम वगैरा**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं......197 / 2023.. निर्णय दिनांक :– **19.02.2024**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम रामजी का गोल पटवार हल्का पीपराली के खेत खसरा नम्बर 32 / 2 रकबा 3.0918 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 / 6 रकबा 1. 5135 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 / 8 रकबा 3.6179 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 / 3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 / 4 रकबा 0.0324 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक, पीपराली**....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये .... 500 / –...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांक: वाद / 2024 / ~~135~~ 1340 / 2024 दिनांक : 19.2.24

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी.........गुड़ामालानी.
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **पीपराली**
4. हल्का पटवारी....**पीपराली..** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.........भूरचंद वगैरा
6. विप्रार्थीगण.......मोडाराम वगैरा

उपखण्ड अधिकारी,
गुड़ामालानी